पत्र संख्या–14 / डी0एल0ए0 (पर्यटन)–मुजफ्फरपुर –56 / 2013– 779 दि0– 8/3/13

बिहार सरकार
(राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)
भू–अर्जन प्रशाखा
अधिसूचना

संख्या : **आर0** **पटना, दिनांक :**

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि गाँव बासोकुण्ड, थाना नं0–512, अंचल–सरैया जिला–मुजफ्फरपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात पर्यटकीय सुविधाओं के विकास हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गाँव बासोकुण्ड, थाना नं0–512, अंचल–सरैया, जिला–मुजफ्फरपुर के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम– वेश X बीघा X कट्ठा X धूर X छटाँक है जो **1.00 (एक)** एकड़ के बराबर होता है, जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :–

अर्जनाधीन अंश खेसरा नं0– 157,158 एवं 159 .

चौहद्दी

उत्तर– अंश खेसरा नं०– 157 एवं 158.
पूरब – अंश खेसरा नं० – 243 सड़क।
दक्षिण – अंश खेसरा नं० – 159 एवं पूर्ण खेसरा नं०–160.
पश्चिम – अंश खेसरा नं०– 153.

यह अधिसूचना अधिनियम 1, 1894 यथा संशोधित अधिनियम 1984 की धारा–4के उपबंधो के अधीन जो भूमि अर्जन (बिहार संशोधन) अधिनियम 1960 से संशोधित है, उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

बिहार सरकार भूमि अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबंद्ध आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय उप सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा–4 की उपधारा–2 में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

उक्त अधिनियम की धारा 17(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि परियोजना की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध लागू नही होगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(अनुपम कुमार)
समाहर्त्ता
मुजफ्फरपुर

सरकार के अवर सचिव
बिहार, पटना।

ज्ञापांक संख्या–14/डी0एल0ए0 (पर्यटन)–मुजफ्फरपुर –56/2013–779/रा0 दि0– 08-03-13

प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ (सी0 डी0 सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, समाहरणालय, मुजफ्फरपुर को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 3. आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 4. समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता तथा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 5. जिला अवर निबंधक, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 6. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

8/3/13

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।